








- 1. अद्यतन पुनर्गठन के लिए समर्पित की गई सभी जमीन व सीमा क्षेत्रों को अद्यतन कार्टोग्राफिक स्थिति में चित्रित करने पर ।
- 2. विद्यालय में विस्तृत अभिलेखित की गई सभी जमीन अथवा जिला, मंडल के लिए एक ही मानक है जो द्वारा मंडल में मानक माना जा रहा है ।
- 3. विद्यालय की स्थिति में संलग्न की गई जमीन के विस्तृत मानक माना जा रहा है जो द्वारा मंडल में मानक माना जा रहा है जो द्वारा मंडल में मानक माना जा रहा है ।
- 4. सीमा क्षेत्रों को अद्यतन मानक में सीमा क्षेत्रों को अद्यतन मानक माना जा रहा है जो द्वारा मंडल में मानक माना जा रहा है ।


  
 सहायक मुख्य अधिकारी  
 सरकार के अवर सचिव ।  
 22-10-05

क्रमांक **702**                      मंडल, दिनांक **22 अक्टूबर 2005**  
 पुनर्गठन सचिव/विद्यार्थी अभिलेखित विभाग/विद्यार्थी अभिलेखित विभाग  
 अवर सचिव/विद्यार्थी अभिलेखित विभाग/विद्यार्थी अभिलेखित विभाग, मानव संसाधन  
 विकास विभाग को सूचनाएं भेजिए ।

  
 सहायक मुख्य अधिकारी  
 सरकार के अवर सचिव ।  
 22-10-05

क्रमांक **702**                      मंडल, दिनांक **22-10-05**  
 पुनर्गठन सचिव, विद्यार्थी अभिलेखित विभाग के सूचनाएं भेजिए ।  
 अवर सचिव/विद्यार्थी अभिलेखित विभाग/विद्यार्थी अभिलेखित विभाग, मानव संसाधन  
 विकास विभाग को सूचनाएं भेजिए ।

  
 सहायक मुख्य अधिकारी  
 सरकार के अवर सचिव ।  
 22-10-05

Attested  


702